उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इन्स्टिटयूशन ऑफ इन्जीनियर्स (आई0) बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर–ISBT माजरा, देहरादून।

अधिसूचना

नवम्बर 09,2009

संख्याः एफ–9(16)/आर.जी./यूईआरसी/2009/1116. उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अधीन प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात एतदद्वारा उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) विनियम 2007(मुख्य विनियम) के साथ पठित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (प्रथम संशोधन) विनियम 2008 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात :–

1.संक्षित नाम, प्रारम्भ एवं निर्वचन

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता) (द्वितीय संशोधन) विनियम 2009 होगा ।

(2) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा ।

(3) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।

2. मुख्य विनियम के उप विनियम 5.2.3 में –

खण्ड (4) के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित होगा, यथा

"परन्तु यदि जिस प्रयोजन हेतु अधिकृत रूप से विद्युत संयोजन लिया गया हो उसके अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु अनाधिकृत रूप से उपभोग किया जा रहा हो ऐसा स्थापित होने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी उस समस्त अवधि का जिस अवधि में विद्युत का अनाधिकृत उपभोग किया गया हो ऑकलन बिल तैयार किए जाने के उद्देश्य से सही मीटर में रिकार्ड उपभोग की वास्तविक ऊर्जा का विवेचन करेगा, एवं जहॉ यह अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती हो तो ऐसी दशा में इस प्रकार की अवधि निरीक्षण की तिथि के तत्काल पूर्व के 12 माहों की अवधि तक सीमित होगी । उपरोक्त ऊर्जा उपभोग, मापन प्रणाली सही होने की दशा में ही विचारणीय होगी अन्यथा ऊर्जा उपभोग की गणना मुख्य विनियम के परिशिष्ट X में दिए गए सूत्र के आधार पर होगी"

आयोग के आदेश द्वारा

पंकज प्रकाश,
सचिव

यह विनियम अंग्रेजी विनियम अधिसूचना दिनांक 09.11.2009 का हिन्दी रूपान्तरण है किसी भी प्रकार के विवाद (आख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम एवं मान्य होगा।